



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062026-273229
CG-DL-E-06062026-273229

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948

No. 150]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2026

सं. 17/2026-2027

विषय: एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2ड. के तहत - उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी को सूचीबद्ध करने के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/28/एएम-19/पीसी.II(बी)/ [ई-16025].—1. विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु निम्नलिखित एजेंसी को तत्काल प्रभाव से प्राधिकृत करते हैं :

पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (पीडीसीसीआइ),

पता: दूसरा तल, अमलानी कॉम्प्लेक्स, कीर्तिमन्दिर के सामने

पुलिस स्टेशन, शीतला चौक, पोरबंदर - 360575, गुजरात

ईमेल : pdcci.porbandar@gmail.com

दूरभाष/मोबाईल : (0286) 2246374/7984650744

2. तदनुसार, उपर्युक्त एजेंसी का नाम एफटीपी 2023 के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] के क्रम सं. 18 (राजकोट) पर जोड़ा गया है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु एफटीपी 2023 के परिशिष्ट 2ड. के तहत पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (पीडीसीसीआई) को तत्काल प्रभाव से सूचीबद्ध किया जाता है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th June, 2026

No. 17/2026-27

Subject: Enlistment under Appendix 2E of FTP, 2023-Agency Authorised to issue Certificate of Origin (Non-Preferential)-regarding.

F. No. 01/93/180/28/AM-19/PC.II(B)/ [E-16025].— In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, the Director General of Foreign Trade hereby authorises the following agency to issue Certificate of Origin (Non- Preferential), with immediate effect:

The Porbandar District Chamber of Commerce & Industries (PDCCI),

Address: located at 2nd Floor, Amlani Complex, Opp. Kirtimandir Police Station, Shitla Chowk, Porbandar - 360575, Gujarat

Email : pdcci.porbandar@gmail.com

Tele/ Mob : (0286)2246374,/ 7984650744

2. Accordingly, the name of the above-mentioned Agency is added at Serial No. 18 (Rajkot) of Appendix 2E [List of Agencies Authorised to issue Certificate of Origin (Non- Preferential)] to Appendices & Aayat Niryat Forms of FTP 2023.

Effect of this Public Notice:

The Porbandar District Chamber of Commerce & Industries (PDCCI), is enlisted under Appendix 2E of the FTP 2023 for issuing Certificates of Origin (Non-Preferential), with immediate effect.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.